

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-144/2019-5268

/पटना, दिनांक-04/10/19

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:-

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Cost. Of Initial Rectification with surface Renewal (in Lakhs)	Cost. Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Cost. Of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biharsarif	Rahui	NH-31 To Patason To Amba	2.575	57.40400	27.00900	5.74040	90.15340
2	Biharsarif	Rahui	Construction of PCC Road with Drain in Rahui Bazar	1.210	18.11160	11.23440	1.81116	31.15716
3	Biharsarif	Rahui	Bihar Nijay Road To Sahpur Via Bhadwa	1.775	43.41600	18.49400	4.34160	66.25160
4	Biharsarif	Rahui	NH-31 Dhamoli More To Deo Bigha More Via Gangapur Shivay Bigha	1.890	46.43900	20.39400	4.64390	71.47690
5	Biharsarif	Rahui	Chanoura Dhamoni Rahui Road To Imli Bigha Via Chanoura	1.425	28.58336	14.60864	2.85834	46.05034
6	Biharsarif	Rahui	Sonsa Chunchunchak Road To Chandwara	0.630	13.92600	6.94700	1.39260	22.26560
7	Biharsarif	Rahui	SH-78 Sonsandi Devasthan	0.500	22.31348	5.54152	2.23135	30.08635
8	Biharsarif	Rahui	Bind Alipur Road To Sonsikra	0.625	13.01400	6.61800	1.30140	20.93340
9	Biharsarif	Rahui	NH-31 To Amarpur	0.400	16.95029	4.03071	1.69503	22.67603
10	Biharsarif	Rahui	Hussainpur More Uttarthu More Aniyachak Pakki Road To Hussainpur	1.000	19.98820	10.57680	1.99882	32.56382
11	Biharsarif	Rahui	To1 To Bhadhwa	0.990	17.22693	9.76207	1.72269	28.71169
12	Biharsarif	Biharsarif	Bihar Nijay Road To Habanpura	1.510	41.64000	15.09000	4.16400	60.89400
13	Biharsarif	Biharsarif	Bihar Ekangar Path To Maghra	2.000	29.32100	18.78400	2.93210	51.03710

8/10/19

Sl. No	Division	Block	Name of Scheme	Length (in km)	Initial Rectification with surface Renewal (in Lakhs)	Cost. Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Cost. Of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Biharsarif	Biharsarif	NH-31 Railway Gumti Dewadh Mahadali Tola	1.630	33.79500	17.74200	3.37950	54.91650
15	Biharsarif	Rahui	T03 To Mishepura	0.975	15.73500	10.31200	1.57350	27.62050
16	Biharsarif	Rahui	NH-31 To Milkpar	1.710	29.48400	17.94300	2.94840	50.37540
17	Biharsarif	Rahui	Soyaba- Uttarhu Road To Dharampur	0.600	13.19800	6.55200	1.31980	21.06980
18	Biharsarif	Sarmera	Nh-82 Sarmera High School To Sarmera Village	1.100	15.06600	11.93600	1.50660	28.50860
19	Biharsarif	Sarmera	Chero Singhol Road To Kajichak	1.500	44.21600	15.90100	4.42160	64.53860
20	Biharsarif	Sarmera	Bajrangbali Temple in Bariya-Kajichak Road To Pipal Tree in Gonalmur Village	1.634	31.98300	17.16700	3.19830	52.34830
21	Biharsarif	Ashthawa	Kumhari Sarabahadi Road To Malawan	0.450	6.39500	4.85600	0.63950	11.89050
22	Biharsarif	Bind	Sarmera Bind Road To Mohanpur	1.500	49.02200	16.01000	4.90220	69.93420
23	Biharsarif	Bind	Kathrahi Se Purab Tirayin Nadi Se Pachim Milki Khandha Main State Highway 78 Se State Tarapar Se Eswarchak Village Se Purab Sadhujee Ke Kone Se Hote Hue Suratpur Village	2.800	60.35300	29.44900	6.03530	95.83730
24	Biharsarif	Ashthawa	NH-82 Soyibapar To Pachetan	2.350	49.84700	25.47700	4.98470	80.30870
25	Biharsarif	Rahui	Vendla More of Sonsa Path To Village Sosandi Via Chand Bathan	2.390	47.54600	25.16300	4.75460	77.46360
26	Biharsarif	Biharsarif	Palatpura To Pedhuka Belchi Hote hue Deokali	5.000	92.38800	52.21300	9.23880	153.83980
Total				40.169				1362.90919

- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, बिहारशरीफ योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-64/2019 में दिनांक 01.06.2019 एवं .09.2019 को प्राप्त है।
- सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-13.9.19 को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-144/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।

6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054 04-144/2019 के पृ0-13/टि0 पर दिनांक-30.9.19, को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

31.09.19
(संजय दूबे)

अपर सचिव

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-144/2019 5268 /पटना, दिनांक- 04/10/19
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

महेश्वर

31.10.19
अपर सचिव